

कार्यालय वन वृत्त खण्डवा (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक/व्यय/2023/

284

खण्डवा, दिनांक 06-10-2023

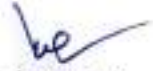
वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनमण्डल अधिकारी बड़यानी द्वारा सोमखेड़ी तालाब योजना से प्रभावित होने वाली 49.320 हे. वन भूमि के बदले प्राप्त गैर वन भूमि ग्राम फरयापुर के सर्वे क्रमांक 164 रकबा 154.808 हे. शासकीय भूमि में से पैकी रकबा 49.320 की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (इस क्षेत्र में पूर्व से 24320 पौधे मौजूद होने से इस क्षेत्र में 25000 पौधों का रोपण किया गया) प्रस्तुत की है। प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी, द्वितीय वर्ष रोपण एवं 9 वर्ष का रखरखाव (वर्ष 2023-24 से 2033-34 तक)। म.प्र. बुक ऑफ फाइनैसियल पावर 1995 के वाल्यूम- II के अनुक्रमांक-14 बी एवं मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र 621/ 03/नियम/04 भोपाल दिनांक 03.09.2003 एवं म.प्र. शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ 1194/ 191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 से अनुक्रमांक 20 पर प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए योजना का अनुमोदन किया जाकर निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

अ.क.	स्थल	रकबा (हेक्टर)	वर्षवार प्रस्तावित व्यय										
			I st year	II year	III year	IV year	V year	VI year	VII year	VIII year	IX year	X year	XI year
1	परिसर राजपुर अन्तर्गत ग्राम फरयापुर के सर्वे क्रमांक 164	49.320	14000000	2438000	2471920	1846050	1893750	468370	496475	601600	318800	338000	537300
													25410265

उपर्युक्त स्थल पर कार्य संपादन करते समय निम्न निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें :-

- समस्त कार्य मध्य प्रदेश वित्त नियम एवं म.प्र. वन वित्तिय नियमों के प्रावधानों एवं शासन के निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित करें। नियमों एवं निर्देशों में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिये आप उत्तरदायी होंगे।
- समस्त कार्य वित्तीय वर्ष में स्वीकृत जॉब दर के अनुसार कराया जायें।
- कार्य निर्धारित नार्मस एवं उपलब्ध बजट आंबटन (भौतिक/आर्थिक) के अन्तर्गत ही करावें।
- यदि किसी कार्य हेतु जाब दरें स्वीकृत नहीं है तो ऐसे कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व जॉब दरों की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करें।
- वित्तीय वर्ष में निर्धारित भौतिक/आर्थिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- कार्य के दौरान प्रत्येक स्तर से राजपत्रित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य का नियमित निरीक्षण किया जायें।
- ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति की सक्रिय भागीदारी नियमित बैठकों के माध्यम से तथा अन्य प्रकार से सुनिश्चित की जायें।
- योजना के अन्तर्गत कोई राशि लैप्स तथा कार्य अपूर्ण न रहे इसका ध्यान रखा जायें।
- सामग्री क्रय व उपयोग म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अनुरूप किया जायें।
- कार्य का क्रियान्वयन, मूल्यांकन व भुगतान व्यवस्था वरिष्ठ कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप किया जायें।
- शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जायें।
- उक्त कार्य से संबंधित अभिलेखों का संधारण (यथा माप पुस्तिका/देयक/रोपण पंजी आदि) नियमानुसार किया जायें।
- समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था भी कायम की जायें।
- संबंधित कार्य हेतु विमुक्त राशि से ही कार्य सम्पादित कराया जायें।

- 15) प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्रियान्वयन के दौरान कोई भी परिवर्तन का अधिकार वन संरक्षक खण्डवा वृत्त का है।
- 16) प्रस्तुत प्रोजेक्ट अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र की प्रस्तुत की गई है भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जवाबदार होंगे।
- 17) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-04/2023/मानिट/44-3/10-3/1565 दिनांक 06.06.2023 में दिये निर्देशानुसार वृक्षारोपण में न्यूनतम 50 प्रतिशत पौधे वनोपज (मिश्रित प्रजाति) के लगाये जाये।
- 18) वरिष्ठ के निर्देशानुसार वृक्षारोपण क्षेत्र में 1 से 2 प्रतिशत दुर्लभ संकटापन्न एवं विलुप्तप्राय: (RET) प्रजातियों को शामिल किया जाए। वन क्षेत्रों में विदेशागत (Exotic) प्रजातियों का रोपण कदापि नहीं किया जाएगा।
- 19) योजना की समाप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत जीवितता की बाध्यता होगी।


(रमेश गुणावा)

वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 06-10-2023

पृ.क/व्यय/2023/ 7438

प्रतिलिपि :- 1. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

- ✓ 2. वनमण्डल अधिकारी वनमण्डल बड़वानी की ओर आपके पत्र क्रमांक/तकनीकी/2023/4530 दिनांक 31.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- प्रोजेक्ट की एक प्रति।


वन संरक्षक

खण्डवा वृत्त खण्डवा



मध्यप्रदेश शासन



वन विभाग

// प्रोजेक्ट रिपोर्ट //

क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण

परियोजना का नाम	-	सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्.
		वन भूमि के बदले वृक्षारोपण फत्यापुर
वैकल्पिक वृक्षारोपण	-	वर्ष 2022-23
खसरा क्रमांक	-	164
क्षेत्रफल	-	49.320 हेक्टेयर

योजना अवधि 2023-24 से 2033-34

वन मण्डल (सामान्य) बड़वानी

॥ तकनीकी प्रतिवेदन ॥

कार्य का नाम	- क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
बीट का नाम	- मण्डवाड़ा
क्षेत्रफल	- 49.320 हेक्टेयर
खसरा कमांक	- 164
कार्य अवधि	- वर्ष 2023-24 से 2033-34
कार्य एजेन्सी	- वन विभाग
योजना मद	- सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले वृक्षारोपण फत्यापुर
समिति का नाम	- ग्राम वन समिति - चिचली
प0स0 वृत्त का नाम	- अंजड़
वन परिक्षेत्र का नाम	- राजपुर
उप वन मण्डल का नाम	- बड़वानी
वन मण्डल का नाम	- बड़वानी (सामान्य)
पौधा संख्या	- प्रजाति - संख्या
	घिरोल - 14000
	शिशम - 4000
	कस्टार - 3000
	सागौन - 2000
	अंजन - 500
	हल्दू - 500
	तिन्सा - 500
	बेहड़ा - 500
	योग - 25000


वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र राजपुर

वन मण्डल (सामान्य) बड़वानी

॥ सामान्य विवरण ॥

कार्य का नाम	- क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण
जिला	- बड़वानी
वन मण्डल का नाम	- बड़वानी (सामान्य)
उप वन मण्डल का नाम	- बड़वानी (सामान्य)
तहसील	- राजपुर
ग्राम पंचायत	- फत्वापुर
बीट का नाम	- मण्डवाड़ा
खसरा क्रमांक	- 164
क्षेत्रफल	- 49.320 हेक्टेयर
ग्राम वन समिति	- चिचली
पोसो वृत्त का नाम	- अंजड़
वन परिक्षेत्र का नाम	- राजपुर
क्षेत्र किस कार्यवृत्त में आता है।	- वृक्षारोपण कार्य वृत्त
मिट्टी का प्रकार	- मुरुमी/ण्थरीली
साईट क्वालिटी	- बी-1

वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र राजपुर

वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने का प्रारूप

भाग-1 सामान्य विवरण

1. परियोजना का विवरण		
(अ) परियोजना का नाम	:-	सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले वृक्षारोपण
(ब) भारत सरकार का अनुमोदन		कमांक दिनांक
(स) प्रत्यावर्तित वन भूमि का विवरण	:-	49.320 हैक्टेयर
2. जिला	:-	बड़वानी
3. वनमण्डल	:-	बड़वानी
4. परिक्षेत्र	:-	राजपुर
5. तहसील	:-	अंजड़
6. विकास खण्ड	:-	ठीकरी
7. विद्यानसभा	:-	राजपुर
8. ग्राम पंचायत	:-	फत्यापुर
9. क्षेत्रिय परिक्षेत्र सहायक वृत्त	:-	अंजड़
10. क्षेत्रिय परिक्षर (बीट)	:-	मण्डवाड़ा

2/ स्थल विशेष जानकारी

1. ग्राम वन समिति	:-	चिचली
2. खसरा कमांक	:-	164
3. राजस्व का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	:-	49.320 हैक्टेयर
4. कार्य वृत्त	:-	वृक्षारोपण
5. स्थल की परिक्षेत्र मुख्यालय से दुरी	:-	25 कि.मी.
6. वन क्षेत्र में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण की जानकारी	:-	वर्ष योजना क्षेत्रफल वर्तमान स्थिति प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
7. प्रस्तावित स्थल में पुर्व में किये गये वृक्षारोपण		
ए. योजना	:-	निरंक
बी. वर्ष	:-	निरंक
सी. क्षेत्रफल	:-	निरंक
डी. प्रजाति	अनुकमांक	प्रजाति पौधे संख्या
निरंक	-	-
ई. वृक्षारोपण असफलता का कारण	:-	निरंक
एफ. वृक्षारोपण अपलेखन का विवरण	:-	निरंक
8. गठित समिति का प्रकार	:-	ग्राम वन समिति
9. समिति का मुख्यालय	:-	चिचली
10. समिति में सम्मिलित गाँव	:-	फत्यापुर
11. समिति के अध्यक्ष का नाम	:-	श्री राधेश्याम पटेल
12. परिसर रक्षक/वन रक्षक का नाम	:-	श्री राजेन्द्र बड़ौले
13. परिक्षेत्र सहायक का नाम	:-	श्री मुकिम खॉन

3/ उपचार हेतु प्रस्तावित क्षेत्र (क्षेत्र की भौगोलिक रचना)

(ए) टोपोग्राफी	:-	उबड़ खाबड़
(बी) एस्पेक्ट	:-	—
(सी) ढलान	:-	चारो ओर
(अ) पानी निकासी	:-	उत्तर की ओर
(ब) भुक्षरण	:-	मध्यम
(डी) चट्टानों का विवरण	:-	बेसाल्ट
(ई) मिट्टी का प्रकार	:-	काली कंकरीली
(एफ) औसत वार्षिक वर्षा	:-	702 मी.मी.
(जी) नरम मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	:-	—
(एच) कड़ी मिट्टी का क्षेत्र (हेक्टेयर)	:-	—
(आई) पथरिली मिट्टी	:-	49.320 हेक्टेयर

4/ वन क्षेत्र का विवरण

(ए) वन का प्रकार एवं वनोपज का संक्षिप्त विवरण :-

वृक्षों की जानकारी

प्रजाति	20 से.मी. तक की सिधी एवं स्थापित पौध	21 से.मी. से अधिक के वृक्ष
प्रोसोपिस	2500	500
सुबबुल	400	0
पलाश	1000	2000
नीम	400	900
कस्टार	2220	9700
सागौन	2200	500
देशी बबुल	500	1500
योग	9220	15100

(बी) साईट क्वालिटी घनत्व :- 0.4 से कम

(सी) पूर्ण वन वर्धन का क्षेत्र :- —

टूठ एवं गोलाई की गणना

प्रजाति	20 से.मी. तक की आडी टेडी पौध	21 से 30 से.मी.	31 से 45 से.मी.	46 से 60 से.मी.	61 से 90 से.मी.	91 से 120 से.मी.	120 से.मी. से उपर
	—	—	—	—	—	—	—
योग	—	—	—	—	—	—	—

(डी) आशिक वन वर्धन का क्षेत्र	:-	-
(ई) आशिक वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	-
(एफ) खरपतवार	:-	-
(जी) पूर्ण वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	49.320 हेक्टेयर
(एच) चरागाह वृक्षारोपण योग्य क्षेत्र	:-	-
(आई) विकृत बांस का क्षेत्र	:-	-
(जे) क्षेत्र जो पथरिला कटाव वाला	:-	-
(के) प्राकृतिक रूप से संरिक्त (कार्य अयोग्य)	:-	-
(एल) जैविक दबाव		

प्रकार	जैविक दबा		
	अत्यधिक	औसत	नगण्य
वन्यप्राणी	-	-	✓
चराई	-	✓	-
मानव	-	✓	-

- 5/ 1. योजना का उद्देश्य :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण
 2. क्षेत्रफल :- 49.320 हेक्टेयर
- 6/ उपचार कार्यों का संक्षिप्त विवरण
 कट बेग का क्षेत्र :- -
 वृक्षारोपण का क्षेत्र :- 49.320 हेक्टेयर
 भूसंरक्षण कार्य का क्षेत्र :- -
 लेन्ताना:- 2 हे.
- 7/ रोपणी का नाम जहा पौधे तैयार किये जायेगे :- अनुसंधान व विस्तार कार्यवृत्त
 खण्डवा
- 8/ रोपणी से रोपण स्थल की दूरी :- 40 कि.मी.
 (ए) ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा :- 05 कि.मी.
 (बी) सिरबोझ द्वारा :- 03 कि.मी.
- 9/ सिचाई का विवरण
 (ए) जल स्रोत :- टेन्कर द्वारा
 (बी) वृक्षारोपण से दूरी :- 5 कि.मी.
 (सी) सिचाई प्रकार :- मजदूरी से
 (डी) बिजली की उपलब्धता :- निरंक
- 10/ प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या
 (ए) प्रति हेक्टेयर सी.बी.ओ. प्राप्त होने वाले पौधों की प्रस्तावित संख्या :-
 (बी) क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या (20 से.मी. से अधिक) :- 15100,
 (सी) क्षेत्र में सिधे एवं स्थापित पौध (20 से.मी. से कम) :- 9220,
 (डी) रोपण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावित पौधों की संख्या :- 25000/
 (न्यूनतम 1000 पौधों प्रति हेक्टेयर) कुल :- 49320
- 11/ योजना की अवधि :- 11 वर्ष
- 12/ 1. योजना पर होने वाला संभावित व्यय :- 25410265/- रुपये
 (विस्तृत प्राकलन एवं उपचार मानचित्र पृथक से संलग्न है।)
 2. प्रति हेक्टेयर व्यय :- 515212/- रुपये
- 13/ अन्य विवरण

भाग-2 प्रमाण पत्र

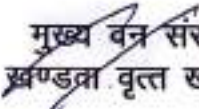
प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थल का निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के समय उपरोक्तानुसार जानकारी सही पाई गयी। क्षेत्र प्रस्तावित उपचार कार्यो/ वृक्षारोपण के योग्य है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु अनुशंसा की जाती है।


वनमण्डलाधिकारी
बड़वानी वन मण्डल बड़वानी
निरीक्षण दिनांक 12.6.23

अनुमोदित

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक दिनांक द्वारा जारी की गई


मुख्य वन संरक्षक
खण्डवा वृत्त खण्डवा

उपचार का विवरण

1. रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या - 25000
2. रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण

अ.क.	प्रजाति का नाम	पौधों की संख्या	पौधों की आयु वर्ष में	पौधों की ऊँचाई (से.मी.)	कॉलर गोलाई (से.मी.)
1	चिरोल	16000	1.5 से 02 वर्ष	45	2.5 से 3 से.मी.
2	शिशम	4000	01 से 1.5 वर्ष	45	3.5 से 5.0 से.मी.
3	कस्टार	3000	01 से 1.5 वर्ष	45	3.5 से 5.0 से.मी.
4	सागौन	2000	01 से 1.5 वर्ष	45	3.5 से 5.0 से.मी.
	योग	25000			

वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र राजपुर

स्थल निरीक्षण

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी ग्राम फत्यापुर, सर्वे क्रमांक 164, रकबा 49.320 हेक्टर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक को किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र राजपुर

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी ग्राम फत्यापुर, सर्वे क्रमांक 164, रकबा 49.320 हेक्टर क्षेत्र का निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 05.06.2023 को किया गया। क्षेत्र वृक्षारोपण कार्य हेतु उपयुक्त है।

Aparchi
उप वन मण्डलाधिकारी
बड़वानी (सा.)

सोनखेड़ी साताब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टर वन भूमि के बदले
कंपा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति इनीकरण सुसारीपण
बीट मण्डवाड़ा, पश्चिम राजपुर, वन मण्डल (सा) इकावनी
ग्राम कुतरापुर, सर्वे क्रमांक 184, एकाबा 49.320 हेक्टर
एकबा 49.520 हेक्टर

सारीपण क्षेत्र का विवरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 प्रथम वर्ष भूमि सैयारी मजदुरी दर रु. 371/- प्रति मानव दिवस

क्र	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति इकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणियाँ
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई			
1	सर्वे एवं सीमांकन हेतु	49.320	ha	0.45	प्रति हे०	22	8234	अ.प्र.मु.व.स. प.क. 837 दि. 24.05 2014 भाग-1/1
2	प्रोजेक्ट निर्माण	1	-	-	-	0	2000	बाजार दर
3	क्षेत्र सफाई (हे०)	29.320	ha	5.00	प्रति हे०	147	54389	खण्डवा जाबदर पत्र क्र. - 4341 दिनांक 11.06.15 (ग/2)
4	लेवटाना उन्मूलन कार्य क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार (मध्यम)	20	ha	8.00	प्रति हेक्टर	160	59360	अ.प्र.मु.व.स. प.क. 837 दि. 24.05 2014 भाग-1/3
5	सुसारीपण क्षेत्र का घेराव 2 मी. ऊँची 5.200 रनिंग मीटर हेतु बारबेड तार का पक्ति एवं दो पक्ति में आडे खड़े नीचे ऊपर खिंचे जाने हेतु (Barbed Wire Type A - The Barbs Shall Have Four Points And Shall Be Formed By Twisting Two Point Wires Each Two Turns, Tightly, Around Both The Line Wires Making All Together Four Complete Turns Line Wire 2.5 mm Point Wire 1.5mm Distance Between Two Barbs 75mm) सीमेंट पोल को 75 30cmX30cm X45cm के गड्ढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा	5200	RM		Rmt	0	4350000	संलग्न प्रांकलन अनुसार
6	सीमा ढ़च संख्या	27500	Nag	13	Nag	0	357500	अनुसंधान विस्तार बागिकी
7	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	25000	गड्ढे	2.5	प्रति हजार	63	23188	अ.प्र.मु.व.स. प.क. 837 दि. 24.05 2014 भाग-1/4
8	रोपण हेतु गड्ढा खोदाई संख्या 0.60x0.60x0.60 cm.	25000	गड्ढे	15	प्रति सैकड़ा	3750	1391250	मु.व.स. प.क. 4341 दि. 11.06. 2015 घ (4)
9	गड्ढों में मिट्टी बदलने हेतु कच आयातन का 60 प्रतिशत	3240	घ0मी०	700	प्रति घ0मी०	0	2268000	कोटेशन दर
10	गाबर खाद कच परिवहन 20 प्रतिशत	1080	घ0मी०	1400	प्रति घ0मी०	0	1512000	कोटेशन दर
11	उपजाऊ मिट्टी स्थानीय मिट्टी एवं गाबर खाद का मिश्रण तैयार कर गड्ढों में डालना	25000	गड्ढे	4	प्रति सैकड़ा	1000	371000	मु.व.स. प.क. 4341 दि. 11.06. 2015 घ (2)
12	घाट कटिंग कार्य	1	LS	LS	LS	0	450000	पी.कबलु.डी. एस.ओ.आर.
13	सिंचाई हेतु टंकी निर्माण	3	Nag	150000	LS	0	450000	पी.कबलु.डी. एस.ओ.आर.
14	डिजल इंजन कच 7.5 एचपी	2	Nag	75000	LS	0	150000	बाजार दर
15	सिंचाई हेतु पाईप लाईन एवं एसेसीरिज	LS	Nag	LS	LS	0	250000	बाजार दर
16	मुनरा निर्माण कार्य	34	Nag	6500		0	221000	सीटक दर
17	निरीक्षण पथ प्रदुन मर्म मरिन	1	कि.मी.	-	लमसम	1348	500000	पी.कबलु.डी. एस.ओ.आर.
18	सूचना बोर्ड	1			लमसम	0	20000	बाजार दर
19	भू-जल कार्य					0	0	

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव	राशि	टिप्पणी
	मिट्टी का बैकडैम (लेआउट करना, मिट्टी साँदकर संग्रहण करना, बैकडैम निर्माण, अभिलेखन करना)	2300	घ.मी.	0.6	प्रति घ.मी.	1380	511980	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास भोपाल/2014 1/15 (3)
21	जल संरचना निर्माण साईज 6X3X0.45M (कड़ी मुकन मे गेड बनाने सहित)	38	प्रति संरचना	1595.30	प्रति नग	163	60621	सीएफ 2016/170/2
22	पत्थर से बैकडैम बनाना (लेआउट, पत्थर संग्रहण 100मी. दूरी तक, बैकडैम का निर्माण नाथ करवा एवं अभिलेखन करना)	500	घ.मी.	1	मा.दि.	500	185500	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास भोपाल/2014 भाग 1/15
23	पत्थर परिवहन	581	घ.मी.	371.47	प्रति घ.मी.	582	215824	आरईएस 1801/1904/3
24	पत्थर बंड कार्य (लेआउट सहित (100मी. दूरी से पत्थर संग्रहण) 0.60X0.45X0.30M	50	ए.मी.	0.18	मा.दि.	9	3339	ए.पी.सी.सी.एफ. विकास भोपाल/2014 भाग 1/12
	पोल जुलाई कार्य मजदुरी सहित	LS	LS	LS	LS	0	70000	बाजार दर
25	हट निर्माण	1	नग	-	-	0	500000	वी.बबलू जी. एस.ओ.आर
27	गाईकोप्लान	1	-	-	-	0	5000	बाजार दर
28	अन्य व्यय	-	-	-	-	0	9815	-
					योग	9123	14000000	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी

उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

**सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले
क्षतिपूर्ती वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य**

वनमण्डल :- बड़वानी (सा.)

वन परिक्षेत्र :- राजपुर

परिसर :- मण्डवाड़ा

सर्वे क्रमांक - 164

उप वनमण्डल :- बड़वानी (सा.)

प्रस्तावित दैनिक दर - रु. 371 प्रति मा.दि.

ग्राम वन समिति :- चिचली

योजना क्षेत्र :- 49.320 हे.

क्र.	कार्य विवरण	मात्रा		दर		राशि
		नग	ईकाई	मा.दि.	रूपये में	
	बारबेड वायर फेंसिंग कार्य- प्रथम वर्ष में-					
1	2 मी. ऊँचे सीमेंट पोल क्रय- 5200 र.मी. लम्बाई हेतु 2 मीटर अंतराल पर + 20% सपोर्ट + 5% टूटफूट सहित (2600+520+156=3276)	3276	नग	-	290.00	950040
2	5200 रनिंग मीटर हेतु बारबेड तार छः पंक्ति एवं दो पंक्ति में आड़े खड़े नीचे ऊपर खिंचे जाने हेतु (Barbed Wire Type A - The Barbs Shall Have Four Points And Shall Be Formed By Twisting Two Point Wires Each Two Turns, Tightly Around Both The line Wires Making All Together Four Complete Turns Line Wire 2.5 mm Point Wire 2.5mm Distance Between Two Bargs 75mm)	18200	कि.ग्रा.	-	110.00	2002000
3	पोल गाड़ने हेतु सीमेंट क्रय @ 0.185 बेग प्रति गड्डा	577	बेग	-	390.00	225030
4	20 एम.एम. गिट्टी क्रय @ 0.0374 घ.मी प्रति गड्डा	117	घ.मी.	-	1800.00	210600
5	रेत क्रय @ 0.0185 घ.मी प्रति गड्डा	58	घ.मी.	-	2800.00	162400
6	जे हुक क्रय	1500	कि.ग्रा.	-	90	135000
7	पोल सिरबोझ परिवहन 3120 पोल	3120	नग	-	50	156000
8	पोल गाड़ने हेतु गड्डा खुदाई 30X30X45 से.मी.	3120	प्र.से.	4 ✓	124.80	46301
9	1:2:4 के मिश्रण में सीमेंट पोल गाड़ना	3120	प्र.से.	6 ✓	187.20	69451
10	गड्डे पोलों की 21 दिन तक तराई करना	3120	प्र.से.	2 ✓	62.40	23150
11	बारबेड तार फेंसिंग 6 पंक्ति में एवं आड़ी खड़ी 2 लाईन में कुल लम्बाई 5200 र.मी.	5200	प्र.र.मी.	0.16	832.00	308672
12	गेट निर्माण	2	-	लमसम	-	60000
13	अन्य व्यय-	LS	-	-	-	1356
	कुल योग -					4350000


वन मण्डलाधिकारी
वनमण्डल बड़वानी


उप वनमण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल बड़वानी


वन परिक्षेत्राधिकारी
परिक्षेत्र राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टर वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फरयापुर, सर्वे क्रमांक 164, रकबा 49.320 हेक्टर
वर्ष 2024-25 योजना का द्वितीय वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा 40 कि.मी.	27500	प्रति सैकड़ा	0	236	0	64900	मु.स. प.क. 837 दि. 05.07.2021
	शिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	27500	फीट	0.4	प्रति सैकड़ा	110	40810	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/4
2	रोपण							
	0.60x0.60x0.60 cm.	25000	गद्दे	2	प्रति सैकड़ा	500	185500	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/5
3	रोपित पौधों के खाला बनवाई कार्य	25000	गद्दे	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	मु.स. प.क. 4341 दि. 11.08.2015 व (1)
4	प्रथम निंदाई	25000	फीट	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/10/1
5	द्वितीय निंदाई	25000	फीट	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/10/2
6	केज्यूलिटी रोपण कार्य	2500	गद्दे	1.5	प्रति सैकड़ा	38	13913	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/9
7	घास काटना पुला बनाना एवं सुरक्षित स्थान पर संग्रहण	30000	पु.स.	1.08	प्रति सैकड़ा	324	120204	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-3/19
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-4/3
9	सुरक्षा 1 श्रमिक 9 माह	1	मा.दि.	371	मा.दि.	234	86814	कलेक्टर घर
10	वृक्षारोपण में सिंचाई 1 कि.मी. दूरी तक पानी शिरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना माह में 2 बार 3 माह जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक	25000	मा.दि.प्र.स.	1.25	LS	1875	695625	अ.प्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.08.2014 भाग-2/12
11	शरावणिक खाद एवं किटनाशक कय	-	अनुमानित	-	-	-	150000	बाजार दर
12	खाद किटनाशक छिड़काव कार्य	25000	मा.दी.	2	प्रति सैकड़ा	500	185500	मु.स. प.क. 4341 दि. 11.08.2015
13	उपलब्धता अनुसार सिंचाई 100 टैन्कर प्रति माह 3 माह हेतु 300 टैन्कर	300	टैन्कर	1000	प्रति टैन्कर	0	300000	बाजार दर
14	सिंचाई हेतु डिजल कय एवं रखरखाव	-	-	-	-	0	120000	बाजार दर
15	अन्य व्यय	-	-	-	-	0	21941	अनुमानित
योग:-						4429	2300000	


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी


उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टर वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्पापुर, सर्वे क्रमांक 184, रकबा 49.320 हेक्टर
वर्ष 2026-27 योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमांक
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	कैज्यूलिटी हेतु पौधा कम 10 %	2500	प्रति सैकड़ा	0	13	0	32500	अनुसंधान विभाग
2	पौधों का परिवहन (संख्या)							
	ट्रक/ट्रेक्टर द्वारा	2500	प्रति सैकड़ा	0	236	0	5900	मुद्रांक पत्र क्र. 5012 दि. 06.07.2021
	सिर बोझ द्वारा 1 कि०मी०	2500	कमी	0.4	प्रति सैकड़ा	10	3710	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/4
3	कैज्यूलिटी रोपण कार्य	2500	गड़वे	1.5	प्रति सैकड़ा	38	13913	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/9
4	घास काटना पुला बनाना एवं सुरक्षित स्थान पर संग्रहण	30000	पु.स.	1.08	प्रति सैकड़ा	324	120204	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-3/19
5	प्रथम निंदाई	25000	कमी	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/1
6	द्वितीय निंदाई	25000	कमी	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/2
7	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
	3 मीटर चौड़ी	16	कमी	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
8	वृक्षारोपण में सिंचाई 1 कि.मी. दूरी तक पानी विरबोझ से लाकर पौधों की सिंचाई करना माह में 1 बार 4 माह	25000	मा.दि.प्र.ई.	1.25	LS	1250	463750	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/12
9	उपलब्धता अनुसार सिंचाई 100 टैन्कर प्रति माह 4 माह हेतु 400 टैन्कर माह अप्रैल 2026 से मई 2026 तक एवं फरवरी 2027 से मार्च 2027 तक	400	टैन्कर	1000	प्रति टैन्कर	0	400000	बाजार दर
10	सिंचाई हेतु डिजल कम एवं रखरखाव	-	-	-	-	0	160000	बाजार दर
11	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कलेक्टर दर
12	अन्य व्यय	-	-	-	-	0	12228	अनुमानित
योग:-						2532	1550000	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी

उप वनमण्डल/अधिकारी
बड़वानी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्यापुर, सर्वे क्रमांक 164, रकबा 49.320 हेक्टर
वर्ष 2027-28 योजना का पंचम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणियाँ
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	घास काटना पुला बनाना एवं सुरक्षित स्थान पर संग्रहण	30000	पु.स.	1.08	प्रति सैकड़ा	324	120204	अप्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.05.2014 भाग-3/19
2	प्रथम निदाई	25000	कोषे	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अप्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/1
3	द्वितीय निदाई	25000	कोषे	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अप्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/2
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अप्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
5	वृक्षारोपण में सिंचाई 1 कि.मी. दूरी तक पानी शिरबोझ से लाकर पीछों की सिंचाई करना माह में 1 बार 4 माह	25000	मा.दि.प्र. सै.	1.25	LS	1250	463750	अप्र.मु.स. प.क. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/12
6	उपलब्धता अनुसार सिंचाई 100 टेन्कर प्रति माह 4 माह हेतु 400 टेन्कर अप्रैल 2027 से मई 2027 तक एवं फरवरी 2028 से मार्च 2028 तक	400	टेन्कर	1000	प्रति टेन्कर	0	400000	बाजार दर
7	सिंचाई हेतु डिजल कम	-	-	-	-	0	160000	
8	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कार्यवाही दर
9	अन्य व्यय	-	-	-	-	0	18250	अनुमानित
योग:-						2485	1500000	


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी


उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टर वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्थापुर, सर्वे क्रमांक 164, रकबा 49.320 हेक्टर

वर्ष 2028-29 योजना का षष्ठम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	प्रथम निंदाई	25000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/1
2	द्वितीय निंदाई	25000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/2
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
4	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कलेक्टर दर
5	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	12204	अनुमानित
योग:-						911	350000	

वर्ष 2029-30 योजना का सप्तम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.)		कुल मानव दिवस	राशि	रिमार्क
		मात्रा	ईकाई	मानव दिवस	ईकाई			
1	प्रथम निंदाई	25000	पौधे	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/1
2	द्वितीय निंदाई	25000	पौधे	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/2
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
4	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कलेक्टर दर
5	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	12204	अनुमानित
योग:-						911	350000	


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी


उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी


वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टर वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्पापुर, सर्वे क्रमांक 184, रकबा 49.320 हेक्टर
वर्ष 2030-31 योजना का अष्टम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दि.	इकाई			
1	प्रथम निंदाई	25000	पीछे	1.25	प्रति सैकड़ा	313	115938	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/1
2	द्वितीय निंदाई	25000	पीछे	1	प्रति सैकड़ा	250	92750	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-2/10/2
3	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	37	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
4	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कलेक्टर दर
5	फेंसिंग मरम्मत कार्य	LS	-	-	-	135	50085	कलेक्टर दर
6	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	12119	अनुमानित
	योग:-					1047	400000	

वर्ष 2031-32 योजना का नवम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दि.	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
2	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	मा.दि.	371	मा.दि.	312	115752	कलेक्टर दर
3	फेंसिंग मरम्मत कार्य	LS	-	-	-	135	50085	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	20807	अनुमानित
	योग:-					483	200000	

वर्ष 2032-33 योजना का दशम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	राशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दि.	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन 3 मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	36	13356	अ.प्र.मु.व.स. प.क्र. 837 दि. 24.05.2014 भाग-4/3
2	सुरक्षा एवं रखरखाव कार्य	1	12 माह	371	-	312	115752	कलेक्टर दर
3	फेंसिंग मरम्मत कार्य	LS	-	-	-	135	50085	कलेक्टर दर
4	अन्य व्यय	-	-	-	-	-	20807	अनुमानित
	योग:-					483	200000	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी

उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण दृष्टारोपण
बीट मण्डवाड़ा, परिक्षेत्र राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्वापुर, सर्वे क्रमांक 184, एकबा 49.320 हेक्टर
वर्ष 2033-34 योजना का ग्यारवा वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मात्रा विषय	रशि	टिप्पणी
		मात्रा	इकाई	मानव दि.	इकाई			
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन							
3	मीटर चौड़ी	16	km	2.25	किमी	37	13356	बड़पुर वन मंडल 807 दि 24.08.2014 माप-4/3
2	सुरक्षा एवं स्वरक्षाव कार्य	1	12 माह	371	—	312	115752	अज्ञेय दर
3	घास काटने पुल बनाना एवं सुरक्षित स्थान पर संरक्षण	25000	पु.स.	1.08	प्रति. बीकड़ा	279	100170	बड़पुर वन मंडल 807 दि 24.08.2014 माप-3/19
3	फेसिंग मरम्मत कार्य	LS	—	—	—	135	50085	अज्ञेय दर
4	अन्य व्यय	—	—	—	—	—	20637	अनुमानित
योग:-						763	300000	

वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी

उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी

वन परिक्षेत्र अधिकारी
राजपुर

सोनखेडी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले

बीट मण्डवाड़ा, पश्चिम राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी

गोशवारा, आदर्श रोपण 49.320 हे० असंचित

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कार्य का विवरण	प्रस्तावित राशि	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	कुल योग (4+5)	प्रति हेक्टेयर व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1	2023-24	क्षेत्र तैयारी प्रथम वर्ष	14000000	1.000	14000000	283861
2	2024-25	रोपण कार्य द्वितीय वर्ष	2300000	1.060	2438000	49432
3	2025-26	रखरखाव कार्य तृतीय वर्ष	2200000	1.124	2471920	50120
4	2026-27	रखरखाव कार्य चतुर्थ वर्ष	1550000	1.191	1846050	37430
5	2027-28	रखरखाव कार्य पंचम वर्ष	1500000	1.263	1893750	38397
6	2028-29	रखरखाव कार्य षष्ठम वर्ष	350000	1.338	468370	9497
7	2029-30	रखरखाव कार्य सप्तम वर्ष	350000	1.419	496475	10066
8	2030-31	रखरखाव कार्य अष्टम वर्ष	400000	1.504	601600	12198
9	2031-32	रखरखाव कार्य नवम वर्ष	200000	1.594	318800	6464
10	2032-33	रखरखाव कार्य दसम वर्ष	200000	1.690	338000	6853
11	2033-34	रखरखाव कार्य ग्यारवा वर्ष	300000	1.791	537300	10894
महायोग :-			23350000	14.973	25410265	515212

नोट - प्रोजेक्ट में जलसंसाधन विभाग राज्य शासन का विभाग होने से अस्थमूलक राशि, मानव संसाधन अनुभवण एवं मूल्यांकन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।


वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल (सा.) बड़वानी


उप वनमण्डल अधिकारी
बड़वानी


वन पश्चिम अधिकारी
राजपुर

तकनीकी स्वीकृति आदेश क्रमांक/044/2023/ 284 - दिनांक 06/10/23 को जारी


वन मण्डल अधिकारी
बड़वानी

सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्ट. वन भूमि के बदले
कैम्पा मद योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण वृक्षारोपण
बीट मण्डवाड़ा, पश्चिम राजपुर, वन मण्डल (सा.) बड़वानी
ग्राम फत्त्यापुर, सर्वे क्रमांक 184, रकबा 49.320 हेक्टर

SN	Position	SN	Position	SN	Position
1	N22 03.283 E75 10.084	48	N22 03.185 E75 10.497	95	N22 03.194 E75 10.929
2	N22 03.268 E75 10.106	49	N22 03.181 E75 10.504	96	N22 03.190 E75 10.930
3	N22 03.238 E75 10.144	50	N22 03.184 E75 10.518	97	N22 03.191 E75 10.936
4	N22 03.219 E75 10.167	51	N22 03.181 E75 10.524	98	N22 03.193 E75 10.942
5	N22 03.210 E75 10.177	52	N22 03.183 E75 10.529	99	N22 03.196 E75 10.949
6	N22 03.209 E75 10.202	53	N22 03.177 E75 10.547	100	N22 03.202 E75 10.970
7	N22 03.201 E75 10.207	54	N22 03.179 E75 10.549	101	N22 03.207 E75 10.971
8	N22 03.204 E75 10.258	55	N22 03.177 E75 10.559	102	N22 03.211 E75 10.972
9	N22 03.205 E75 10.266	56	N22 03.181 E75 10.572	103	N22 03.213 E75 10.976
10	N22 03.206 E75 10.273	57	N22 03.179 E75 10.586	104	N22 03.214 E75 10.979
11	N22 03.203 E75 10.278	58	N22 03.176 E75 10.588	105	N22 03.220 E75 10.989
12	N22 03.203 E75 10.283	59	N22 03.178 E75 10.593	106	N22 03.226 E75 10.998
13	N22 03.204 E75 10.286	60	N22 03.180 E75 10.598	107	N22 03.235 E75 11.039
14	N22 03.205 E75 10.292	61	N22 03.177 E75 10.604	108	N22 03.236 E75 11.043
15	N22 03.203 E75 10.297	62	N22 03.177 E75 10.608	109	N22 03.241 E75 11.045
16	N22 03.201 E75 10.299	63	N22 03.172 E75 10.629	110	N22 03.249 E75 11.049
17	N22 03.202 E75 10.304	64	N22 03.175 E75 10.661	111	N22 03.262 E75 11.064
18	N22 03.201 E75 10.310	65	N22 03.171 E75 10.664	112	N22 03.278 E75 11.078
19	N22 03.201 E75 10.314	66	N22 03.170 E75 10.675	113	N22 03.292 E75 11.095
20	N22 03.203 E75 10.319	67	N22 03.172 E75 10.686	114	N22 03.315 E75 11.108
21	N22 03.202 E75 10.322	68	N22 03.174 E75 10.688	115	N22 03.321 E75 11.074
22	N22 03.201 E75 10.328	69	N22 03.176 E75 10.699	116	N22 03.321 E75 11.066
23	N22 03.199 E75 10.336	70	N22 03.174 E75 10.709	117	N22 03.323 E75 11.062
24	N22 03.198 E75 10.343	71	N22 03.167 E75 10.714	118	N22 03.324 E75 11.056
25	N22 03.194 E75 10.355	72	N22 03.165 E75 10.720	119	N22 03.326 E75 11.053
26	N22 03.195 E75 10.361	73	N22 03.164 E75 10.733	120	N22 03.326 E75 11.048
27	N22 03.191 E75 10.365	74	N22 03.163 E75 10.745	121	N22 03.326 E75 11.045
28	N22 03.189 E75 10.372	75	N22 03.167 E75 10.755	122	N22 03.327 E75 11.040
29	N22 03.192 E75 10.385	76	N22 03.166 E75 10.761	123	N22 03.326 E75 11.037
30	N22 03.191 E75 10.390	77	N22 03.168 E75 10.772	124	N22 03.325 E75 11.025
31	N22 03.193 E75 10.399	78	N22 03.165 E75 10.782	125	N22 03.326 E75 11.020
32	N22 03.191 E75 10.401	79	N22 03.166 E75 10.788	126	N22 03.327 E75 11.011
33	N22 03.189 E75 10.407	80	N22 03.166 E75 10.797	127	N22 03.331 E75 11.001
34	N22 03.190 E75 10.439	81	N22 03.163 E75 10.815	128	N22 03.330 E75 10.988
35	N22 03.189 E75 10.442	82	N22 03.159 E75 10.829	129	N22 03.328 E75 10.985
36	N22 03.192 E75 10.443	83	N22 03.149 E75 10.853	130	N22 03.327 E75 10.982
37	N22 03.192 E75 10.445	84	N22 03.151 E75 10.857	131	N22 03.327 E75 10.977
38	N22 03.192 E75 10.450	85	N22 03.154 E75 10.859	132	N22 03.327 E75 10.956
39	N22 03.189 E75 10.459	86	N22 03.158 E75 10.861	133	N22 03.323 E75 10.934
40	N22 03.187 E75 10.464	87	N22 03.163 E75 10.865	134	N22 03.349 E75 10.928
41	N22 03.183 E75 10.467	88	N22 03.174 E75 10.872	135	N22 03.360 E75 10.910
42	N22 03.185 E75 10.470	89	N22 03.177 E75 10.876	136	N22 03.366 E75 10.903
43	N22 03.187 E75 10.474	90	N22 03.179 E75 10.879	137	N22 03.373 E75 10.899
44	N22 03.189 E75 10.475	91	N22 03.183 E75 10.890	138	N22 03.378 E75 10.900
45	N22 03.189 E75 10.478	92	N22 03.193 E75 10.902	139	N22 03.375 E75 10.889
46	N22 03.186 E75 10.480	93	N22 03.196 E75 10.917	140	N22 03.372 E75 10.875
47	N22 03.185 E75 10.487	94	N22 03.197 E75 10.922	141	N22 03.371 E75 10.868

142	N22 03.373 E75 10.859	162	N22 03.354 E75 10.567
143	N22 03.371 E75 10.855	163	N22 03.359 E75 10.540
144	N22 03.369 E75 10.849	164	N22 03.357 E75 10.515
145	N22 03.362 E75 10.832	165	N22 03.362 E75 10.492
146	N22 03.356 E75 10.827	166	N22 03.362 E75 10.473
147	N22 03.353 E75 10.810	167	N22 03.363 E75 10.442
148	N22 03.352 E75 10.799	168	N22 03.366 E75 10.410
149	N22 03.351 E75 10.791	169	N22 03.363 E75 10.363
150	N22 03.349 E75 10.781	170	N22 03.362 E75 10.323
151	N22 03.346 E75 10.774	171	N22 03.361 E75 10.290
152	N22 03.344 E75 10.769	172	N22 03.365 E75 10.266
153	N22 03.334 E75 10.765	173	N22 03.366 E75 10.240
154	N22 03.333 E75 10.753	174	N22 03.365 E75 10.216
155	N22 03.334 E75 10.737	175	N22 03.363 E75 10.194
156	N22 03.336 E75 10.732	176	N22 03.359 E75 10.168
157	N22 03.337 E75 10.695	177	N22 03.347 E75 10.146
158	N22 03.342 E75 10.665	178	N22 03.337 E75 10.124
159	N22 03.345 E75 10.651	179	N22 03.312 E75 10.084
160	N22 03.348 E75 10.632	180	N22 03.295 E75 10.070
161	N22 03.355 E75 10.597	181	N22 03.283 E75 10.084


 10/25/2018


 10/25/2018
 10/25/2018

आम क विनिमय केन्द्र

आम क विनिमय केन्द्र 19.9.22 को आम
जन सहित विनिमय की बैठक का आयोजन
किया गया जिसमें आम जन एवं आम तौर पर
उपस्थित उनके बीच बने सहज के बारे
में समझाया गया कि आम जन के बीच विनिमय
कैसे किया जाये और आम जन के बीच
आम क विनिमय केन्द्र के बारे में जानकारी
गति में विनिमय केन्द्र के बारे में जानकारी
पुष्टि करना आम क विनिमय केन्द्र पर चर्चा
की।

प्रस्ताव

हस्ताक्षर

आम क विनिमय केन्द्र के अध्यक्षता एवं सहजीव
विनिमय केन्द्र के अध्यक्षता एवं सहजीव
पर आम क विनिमय केन्द्र के अध्यक्षता एवं सहजीव
विनिमय केन्द्र के अध्यक्षता एवं सहजीव
किया गया।

राष्ट्रीय आम क विनिमय
आ. क. विनिमय
आम क विनिमय

सीतल
आम क विनिमय
आम क विनिमय

रवी पिता कामर

रवी

नरेन्द्र पिता काव

नरेन्द्र

दिनेश पिता काव

जगु पिता विष्णु

जगु

मोहन पिता कडवी

मोहन

सत्यम कुमार

सत्यम

रमेश भागवत

रमेश

बाबू पिता बाबू

अनिल पिता निश

विकास पिता रवि

अश्विनी जस राव

मंगल पिता विष्णु

मंगल

PAGE NO. :

DATE: / /

८२ शीव पिता मित्र

शिव पिता मित्र

शिव

शिव

शिव

शिव

शिव



(पारित दिनांक 30/03/2022)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी द्वारा विकासखण्ड सेंधवा अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से रकबा 49.320 हेक्टर वन विभाग की भूमि प्रभावित होने से वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार करने हेतु जिला बड़वानी अंतर्गत प्रभावित वन भूमि के एवज में प्रथमतः गैर वनभूमि तहसील अन्जड़ के ग्राम फत्वापुर के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर शासकीय भूमि में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर राजस्व भूमि उपलब्ध कराने की मांग ऑनलाईन मांग आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर प्रस्तुत की गई।

2/ कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी की ओर मांग किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर से जांच प्रतिवेदन चाहा गया।

3/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा प्रकरण में तहसीलदार अन्जड़ से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार अन्जड़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि हस्तांतरण के संबंध में सार्वजनिक उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया, नियत समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। आवेदित भूमि के संबंध में नगर तथा ग्राम निवेश खरगोन एवं लोक निर्माण विभाग बड़वानी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। ग्राम पंचायत फत्वापुर द्वारा नियत समयावधि में कोई अभिमत/अनापत्ति पेश नहीं किये जाने से यह मान्य किया गया कि संबंधित निकाय को भूमि हस्तांतरण में कोई आपत्ति नहीं है। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम फत्वापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर अतिक्रमण मुक्त है। उक्त भूमि आवंटन से ग्राम का चरनोई रकबे में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तहसीलदार द्वारा वन विभाग को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नजूल निर्वर्तन नियम-2020 के तहत भूमि हस्तांतरित किया जाना उचित बताया।

4/ अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम फत्वापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि वन विभाग को हस्तांतरण की अनुशंसा की गई है।

5/ प्रकरण में जिला नजूल निर्वर्तन समिति, बड़वानी से संयुक्त प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त प्रतिवेदित किया गया कि विकासखण्ड सेंधवा अंतर्गत सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले शासकीय भूमि रकबा 49.320 हेक्टर हेतु तहसीलदार अन्जड़ के प्रतिवेदन के आधार पर कंडिका 13(2) की संपूर्ण कार्यवाही संपादित की गई। तहसीलदार द्वारा उद्घोषणा जारी की गई, नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 की कंडिका 13(3) अनुसार जांच प्रतिवेदन मय अनुशंसा प्रेषित किया गया एवं कंडिका 13(4) अनुसार नजूल अधिकारी द्वारा प्रारूप-दो में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिला नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं तहसीलदार अन्जड़ से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि रकबा 49.320 हेक्टर प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले ग्राम फत्वापुर तहसील अन्जड़ के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के अध्याय-2 के तहत हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण प्राप्त हुआ है।

(Signature)

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं तहसीलदार अन्जड़ तथा जिला नजूल निर्वर्तन समिति के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये सोनखेड़ी तालाब योजना निर्माण से वन विभाग की भूमि रकबा 49.320 हेक्टर प्रभावित होने से उक्त भूमि के बदले तहसील अन्जड़ के ग्राम फत्यापुर के सर्वे नंबर 164 रकबा 154.808 हेक्टर मद पहाड़ में से पैकि रकबा 49.320 हेक्टर भूमि म.प्र. नजूल निर्वर्तन नियम 2020 के अध्याय-2 के तहत वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न शर्तों के अधीन हस्तांतरित की जाती है:-

- 1- म.प्र.शासन द्वारा यदि भूमि के मूल्य/भू-भाटक आदि के संबंध में कोई शासनादेश/निर्देश दिये जाते हैं या अन्य कोई शर्त आरोपित की जाती है तो उन्हें मानने के लिये आवेदक विभाग बाध्य होगा।
- 2- भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये ही किया जा सकेगा, जिस प्रयोजन के लिये भूमि हस्तांतरित की गई है, अन्यथा भूमि अंतरण आदेश स्वमेव निरस्त होकर शासकीय भूमि पुनः शासन में समाविष्ट होगी।

(शिवराजसिंह वर्मा)

कलेक्टर

जिला बड़वानी, म.प्र.

बड़वानी, दिनांक 30/03/2022

पृ.क्रमांक / 2445 /रीडर/भूमि आबंटन/2022

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व/वन विभाग, भोपाल।
- 2- आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
- 3- वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल (सा) बड़वानी/सैधवा।
- 4- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर।
- 5- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सम्भाग बड़वानी।
- 6- अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला बड़वानी।
- 7- तहसीलदार अन्जड़ की ओर आदेश की प्रति सह मूल प्रकरण भेजकर लेख है कि नियमानुसार सम्पूर्ण पूर्णता एवं आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में पृविष्ट कर संशोधित अभिलेख संलग्न करते हुए मूल प्रकरण वापस प्रेषित करें।

संलग्न-मूल प्रकरण क्रमांक 0008/अ-20(3)/2021-22

मा.चि.

क.म.अ.

61/04/2022

(शिवराजसिंह वर्मा)

कलेक्टर

जिला बड़वानी, म.प्र.

2822

01/04/22

61/04/2022

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल (सा.) बड़वानी
क्रमांक/2023/ 38 बड़वानी, दिनांक- 11/7/23

// तकनीकी स्वीकृति आदेश //

बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 भाग-2 के कंडिका (14) बी में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टेयर वन भूमि के बदले फत्यापुर वृक्षारोपण खसरा क्रमांक 164 वर्ष 2022-23 में वन परिक्षेत्र राजपुर अंतर्गत बीट-मण्डवाड़ा में सुरक्षा हट निर्माण कार्य किये जाने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ.क्र.	कार्य का नाम	उ.व.म./परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	सुरक्षा हट निर्माण कार्य	राजपुर	ग्राम-फत्यापुर	5,00,000

तकनीकी संबंधी निर्देश :-

- (1) उक्त कार्य कराने जाने हेतु भण्डार क्रय नियमों का भली-भांती पालन किया जावे।
- (2) कार्य प्रावकलन में दर्शित मापदण्ड अनुसार ही कार्य कराया जावे।
- (3) ठेकेदारी प्रथा में कार्य कराना वर्जित होगा।
- (4) कार्य पर आवंटित राशि से अधिक व्यय कदापि न करें।
- (5) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा किया जावेगा।
- (6) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जाये।
- (7) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

Apardhi
(अतुल पारधी)

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)

बड़वानी, दिनांक- 11/7/23

पृ. क्रमांक/2023/ 965

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक महोदय, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित। सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की विधिपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये भण्डार लेखा में नियमानुसार लेख कराना सुनिश्चित करें।

Apardhi
उप वनमण्डलाधिकारी

उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)



कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल (सा.) बड़वानी
 कमांक/2023/ 40 बड़वानी, दिनांक- 14/7/23

// तकनीकी स्वीकृति आदेश //

बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 भाग-2 के कंडिका (14) बी में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टेयर वन भूमि के बदले फत्यापुर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना खसरा कमांक 164 वर्ष 2022-23 में वन परिक्षेत्र राजपुर अंतर्गत बीट-मण्डवाड़ा में घाट कटिंग कार्य किये जाने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ.क्र.	कार्य का नाम	उ.व.म./परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	घाट कटिंग कार्य	राजपुर	ग्राम-फत्यापुर	450,000

तकनीकी संबंधी निर्देश :-

- (1) उक्त कार्य कराने जाने हेतु भण्डार क्रय नियमों का भली-भांती पालन किया जावे।
- (2) कार्य प्राक्कलन में दर्शित मापदण्ड अनुसार ही कार्य कराया जावे।
- (3) ठेकेदारी प्रथा में कार्य कराना वर्जित होगा।
- (4) कार्य पर आवंटित राशि से अधिक व्यय कदापि न करें।
- (5) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा किया जावेगा।
- (6) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जाये।
- (7) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

Apandhi
(अतुल पारधी)

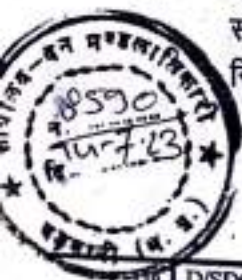
उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)

बड़वानी, दिनांक- 14/7/23

पृ. कमांक/2023/ 980

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक महोदय, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की विधिपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये भण्डार लेखा में नियमानुसार लेख कराना सुनिश्चित करें।



Apandhi

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)

कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल (सा.) बड़वानी

दिनांक/2023/ 41

बड़वानी, दिनांक- 14/7/23

// तकनीकी स्वीकृति आदेश //

बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 भाग-2 के कंडिका (14) बी में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टेयर वन भूमि के बदले फत्यापुर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना खसरा क्रमांक 164 वर्ष 2022-23 में वन परिक्षेत्र राजपुर अंतर्गत बीट-मण्डवाड़ा में पेंहुच मार्ग सहित निरीक्षण पथ निर्माण कार्य किये जाने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ.क्र.	कार्य का नाम	उ.व.म./परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	पेंहुच मार्ग सहित निरीक्षण पथ निर्माण कार्य	राजपुर	ग्राम-फत्यापुर	5,00,000

तकनीकी संबंधी निर्देश :-

- (1) उक्त कार्य कराने जाने हेतु भण्डार क्रय नियमों का भली-भांती पालन किया जावे।
- (2) कार्य प्राक्कलन में दर्शित मापदण्ड अनुसार ही कार्य कराया जावे।
- (3) ठेकेदारी प्रथा में कार्य कराना वर्जित होगा।
- (4) कार्य पर आवंटित राशि से अधिक व्यय कदापि न करें।
- (5) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा किया जावेगा।
- (6) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जाये।
- (7) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

Apandhi
(अतुल पारधी)

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)

बड़वानी, दिनांक- 14/7/23

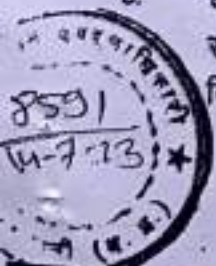
पृ. क्रमांक/2023/ 981

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक महोदय, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की विधिपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये भण्डार लेखा में नियमानुसार लेख कराना सुनिश्चित करें।

Apandhi

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)



कार्यालय उप वनमण्डलाधिकारी, उप वनमण्डल (सा.) बड़वानी

क्रमांक/2023/ 39

बड़वानी, दिनांक- 11/7/23

// तकनीकी स्वीकृति आदेश //

बुक ऑफ फायनेंशियल पावर 1995 भाग-2 के कंडिका (14) बी में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/एफ/1194/191/2022/नियम/चार दिनांक 14.07.2022 द्वारा वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के फलस्वरूप प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट सोनखेड़ी तालाब योजना में प्रभावित 49.320 हेक्टेयर वन भूमि के बदले फत्वापुर वृक्षारोपण खसरा क्रमांक 164 वर्ष 2022-23 में वन परिक्षेत्र राजपुर अंतर्गत बीट-मण्डवाड़ा में वाटर टंकी निर्माण कार्य किये जाने की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ.क्र.	कार्य का नाम	उ.व.म./परिक्षेत्र का नाम	स्थल का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि
1	वाटर टंकी निर्माण कार्य	राजपुर	ग्राम-फत्वापुर	450,000

तकनीकी संबंधी निर्देश :-

- (1) उक्त कार्य कराने जाने हेतु भण्डार क्रय नियमों का भली-भांती पालन किया जावे।
- (2) कार्य प्राक्कलन में दर्शित मापदण्ड अनुसार ही कार्य कराया जावे।
- (3) ठेकेदारी प्रथा में कार्य कराना वर्जित होगा।
- (4) कार्य पर आवंटित राशि से अधिक व्यय कदापि न करें।
- (5) कार्य का मूल्यांकन समय-समय पर वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर द्वारा किया जावेगा।
- (6) प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारंभ किया जाये।
- (7) कार्य पूर्ण होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे।

(अतुल पारधी)

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)

पृ. क्रमांक/2023/ 966

बड़वानी, दिनांक- 11/7/23

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक महोदय, खण्डवा वृत्त खण्डवा की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल बड़वानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी, राजपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
सामग्री क्रय एवं निर्माण कार्य की विधिपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुये भण्डार लेखा में यमानुसार लेख कराना सुनिश्चित करें।



(अतुल पारधी)

उप वनमण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल बड़वानी (सा.)